Disinvestment of Industrial Finance Corporation of India

4282. SHRIMATI KAMLA SINHA:
SHRI RANJAN PRASAD YADAV:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to disinvest, the shareholdings of Industrial Finance Corporation of India; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH) (a) and (b) Since the Government does not hold any share capital in the Industrial Finance Corporation of India (IFCI), the question of its disinvestment does not arise.

Proposal to set up Small Farmers Agri-Business Consortium

4283. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in his budget speech he had said that Government propose to set up a Small Farmers Agri-Business Consortium as an autonomous Corporate entity;

(b) if so, whether it is also a fact that the Agriculture Ministry has been consulted in this regard; and

(c) if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

राष्ट्रीयकृत बैंकों के सरकारी निदेशक

4284. **श्री अमलराम जयसवाल :**
श्रीमती सत्या बहिन :

क्या वित्त मंत्री 4 अगस्त, 1992 को राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न 284 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1992 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के सरकारी निदेशकों के नाम क्या हैं ;

(ख) निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति कब-कब हुई थी और उनके सांविधिक कार्यकाल की अवधि कितनी-कितनी है ; और

(ग) पहली अगस्त, 1992 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के निदेशक मंडल में कितने कितने स्थान रिक्त थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) 30 अप्रैल, 1992 की स्थिति के अनुसार 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों, कार्यपालक निदेशकों, कर्मकार निदेशकों, अधिकारी निदेशकों, भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशकों और सरकारी निदेशकों के नाम तथा उनकी नियुक्ति की तारीख अनुपत्र में दी गई है । [देखिए परिशिष्ट 164, अनुपत्र संख्या 64]

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबन्ध) योजना, 1970 और 1980 के उपबंधों की शर्तों के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों और कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होती है और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं । कर्मकार निदेशकों और अधिकारी निदेशकों की नियुक्ति तीन वर्ष की अनधिक अवधि के लिए होती है और तदुपरान्त उनके उत्तराधिकारियों की नियुक्ति होने तक रहते हैं और पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं । तथापि, वे लगातार छः वर्ष से अधिक अवधि के लिए पदासीन नहीं रह सकते हैं । भारतीय रिजर्व बैंक